कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

पत्रॉक 01 /सी0आर0ए0–आ0प्र0प्रा0/2017–18 दिनॉक: 13-12-17

प्रैस विज्ञप्ति

कृपया मा0 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–11, लखनऊ के पत्र सं0 894/1–11–2017–11(जी)/2017 दिनांक 04.08.2017 व अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/राहत आयुक्त के पत्र सं0 1633/रा0आ0प्र0प्रा0/2017–18 दिनांक 07.12.2017 के क्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अनुसार जनपद गाजियाबाद स्तर पर गठित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में 31.03.2018 तक के लिए एक–एक आपदा विशेषज्ञ को रू0 40,000/– के नियत मानदेय पर संविदा पर रखा जाना है। आपदा विशेषज्ञ को रखे जाने हेतु समिति, अर्हता, आयु सीमा, अनुभव आदि के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित पात्रता निम्न प्रकार हैः–

1–स्नातक के साथ आपदा प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।
2–आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 03 वर्ष प्रैक्टिकल अनुभव।
3–विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को अधिकतम 45 वर्ष।

आपदा विशेषज्ञ की गुणवत्ता जिलाधिकारी महोदया द्वारा गठित समिति द्वारा सुनिश्चित की जाऐगी।

आपदा विशेषज्ञ इच्छुक अभ्यार्थी दिनांक **20.12.2017 तक सांय 5 बजे तक** सूचना आवेदन पत्र कलक्ट्रेट स्थित द्वितीय तल कक्ष सं0 302 में वांछित अभिलेख की छाया प्रति सहित प्रस्तुत कर सकते है एवं साक्षात्कार हेतु अपने मूल अभिलेखों सहित दिनांक **22.12.2017 को अधोहस्ताक्षरी के कक्ष सं0 315 स्थित द्वितीय तल कलक्ट्रेट, गाजियाबाद में प्रातः 11 बजे** उपस्थिति हो।

भवदीय,

13/12/17

(राजेश कुमार)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
गाजियाबाद।

O/C

पत्र व दिनांक–उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1–प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ।
2–उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, गाजियाबाद/मोदीनगर/लोनी, जनपद गाजियाबाद को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
3–सहायक सूचना निदेशक गाजियाबाद को 5 अतिरिक्त प्रतियों में इस आशय से कि विज्ञप्ति का दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला के संस्करण में शासकीय दर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4–नाजिर सदर कलक्ट्रेट गाजियाबाद को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

13/12/17

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
गाजियाबाद।

O/C

Rahul kr.ACRA